

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2020 — आषाढ़ 9, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-22/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“6. अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क तथा जहां लागू हो, वहाँ समझौता शुल्क निम्नानुसार होगा :-

नगर पालिका	अनुज्ञा शुल्क (एक बार)	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	समझौता शुल्क
नगरपालिक निगम	रु. 1,50,000 /—	रु. 30,000 /—	अनुमति शुल्क का 30 से 50 गुना”
नगरपालिका परिषद्	रु. 1,00,000 /—	रु. 20,000 /—	
नगर पंचायत	रु. 50,000 /—	रु. 10,000 /—	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 जून 2020

क्रमांक एफ 5-22/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-22/2019/18, दिनांक 30-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 30th June 2020

NOTIFICATION

No. F 5-22/2019/18. — In exercise of the powers conferred by Section 317-A read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipalities (Erection of Temporary Tower or Structure for Cellular Mobile Phone) Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For rule 6, the following shall be substituted, namely :-

“6. The Permit Fee/Renewal Fee and wherever applicable, the Settlement Fee shall be as follows :-

Municipality	Permit Fee (One Time)	Annual Renewal Fee	Settlement Fee
Municipal Corporation	Rs. 1,50,000/-	Rs. 30,000/-	30 to 50 times of The Permit Fee,”
Municipal Council	Rs. 1,00,000/-	Rs. 20,000/-	
Nagar Panchayat	Rs. 50, 000/-	Rs. 10,000/-	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.